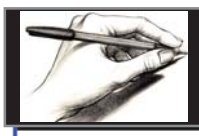

कड़ी मेहनत ही सफलता की कूंजी है।
– अज्ञात

संपादकीय

महामारी के प्रति लापरवाह होते लोग

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग चेत नहीं रहे हैं। दिन ब दिन लोगों की लापरवाही इस महामारी के प्रति दिखाई दे रही है। इन दिनों श्रावण मास के चलते लोग भगवान की पूजा के लिए मंदिरों में जा कर पूजा करने को उत्सहित हो रहे हैं लेकिन इस तरह से भीड़भाड़ वाले स्थानों में जा कर संक्रमित होने के खतरे से डर नहीं रहे हैं। लोग इस कदर लापरवाह हो गये हैं कि वे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। दून में कोरोना संक्रमण के रोजाना नए मामले आ रहे हैं। प्रदेश में एक शहर से दूसरे शहर जाने या जिलों में जाने पर भी संक्रमण की दर बढ़ रही है लेकिन लोग तब भी लापरवाह बने हुए हैं। काम के सिलसिले जिन लोगों का जाना बेहद जरूरी है उनके लिए तो यात्रा मजबूरी है लेकिन यहां तो कई ऐसे भी लोग हैं जो घर में बैठ कर बोर हो रहे हैं और बाहर घूमने के लिए बेताब हैं। तो बस अपनी गाड़ी उठायी और निकल पड़े। खुद तो जायेंगे ही अपने साथ और लोगों को भी लेकर जायेंगे। इन दिनों सावन के चलते शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़े शिवालयों या मंदिरों में दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। लोग मंदिरों में झुण्ड बना कर जा रहे हैं और मंदिर की घंटियां बजाने से लेकर अन्य वस्तुओं को छू रहे हैं। इन वस्तुओं को न जाने कितनों लोगों द्वारा पकड़ा जा रहा होग और कौन उनमें से संक्रमित हो सकता है। ऐसे में और न जाने कितने लोग संक्रमित हो जायेंगे। यदि कोरोना के प्रति लोग अभी भी सचेत नहीं हुए तो इसके गंभीर परिणाम सभी को भुगतने पड़ सकते हैं। वैश्विक महामारी के प्रति इतनी लापरवाही आदमी को मौत के मुहं तक पहुंचा सकती है और साथ में उनके अपनों को भी। इस समय का बरते जाना वाला संयम ही लोगों के लिए जीवनदायक साबित हो सकता है। फिर चाहे वह मंदिरों में जा कर पूजा-पाठ करना हो या फिर मौज-मस्ती के लिए घर से बाहर निकलने की बात हो। फिलहाल इससे जितना परहेज रखा जाए उतना ही बेहतर साबित होगा।

बीमारियों के संग जीना!

मनु पंवार

आज तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब 'हॉर्स' का मतलब घोड़ा होता है तो 'हॉर्स ट्रेडिंग' को घोड़ों के कारोबार के बजाय विधायकों की ख़रीद-फरोख्त से क्यों जोड़ा जाता है? विधायक घोड़े तो नहीं होते। अगर होते तो हमारे यहां विधानसभाओं की बजाय जगह-जगह रेसकोर्स खुले होते। वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते दिल्ली में रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। इससे राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग को 'लोक कल्याण' का जामा पहनाने में मदद मिलेगी।

वैसे विधायकों की खरीद-फरोख्त पर बवाल मचाना फिजूल है। अब तो हमें राजनीति की इसी बुराई के साथ जीना सीखना होगा, जैसे सरकार बहादुर कह रही है कि अब तो कोरोना के साथ ही जीना होगा। इसलिए इस दौर की प्राथमिकताएं और चिंताएं बदल गई हैं। अब तो चिंता इस पर जताई जानी चाहिए कि विधायकों की खरीद-फरोख्त में सोशल डिस्टेन्सिंग का विधिवत पालन हो रहा है या नहीं? विधायकों को अगर किसी रिजॉर्ट में बसों में ठूंसकर ले जाया जा रहा है तो उनके बीच दो गज का फासला रखा जा रहा है कि नहीं? अगर सूटकेस में नोट भरकर दिए जा रहे हैं तो भाई लोग 20 से 40 सेकेंड तक हाथ अच्छी तरह से धो रहे हैं या नहीं? हाथों को सही तरीके से सेनिटाइज कर रहे हैं या नहीं? हॉर्स ट्रेडिंग में डिजिटल पेमेंट का चलन अभी जोर नहीं पकड़ पाया है। इसलिए 'कितने में बिके' टाइप घिसे-पिटे सवालों के बजाय हमें यह पूछना चाहिए कि जिन नोटों से विधायक खरीदे गए, वो सही तरीके से सेनिटाइज किए गए हैं या नहीं?

ये जानना भी बहुत जरूरी है कि नोट डालने से पहले सूटकेस को अच्छी तरह से असंक्रमित किया गया है या नहीं? सबको पता है कि कोरोना काल में ये न करना खतरे से खाली नहीं है। कोई भी पार्टी या बंदा अपनी जान का खतरा मोल लेकर भला खरीद-फरोख्त क्यों करना चाहेगा? हॉर्स ट्रेडिंग के तौर-तरीके इसलिए भी बदलने चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण का खतरा न बढ़े। नोट देकर बीमारी कौन खरीदना चाहेगा भला?

हां, लेकिन मास्क की अनिवार्यता ने हॉर्स ट्रेडिंग के धंधे में थोड़े संदेह की गुंजाइश पैदा कर दी है। राजनीति में यूं भी चेहरों की पहचान करने के अपने जोखिम हैं। पता नहीं बंदे की नीयत में कितना खोट हो। अब तो चेहरे पर मास्क जो लगा है। राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग माने खरीद-फरोख्त एक पुरानी बीमारी है, वो तो जाने से रही। इसलिए भलाई इसी में है कि अब यह जो उससे भी खतरनाक बीमारी आई है, उसके हिसाब से उस पुरानी बीमारी को एडजस्ट किया जाए। ध्यान रहे, पुरानी बीमारी को खत्म करने की बात नहीं हो रही है। उसके बगैर लोकतंत्र में वो रोमांच और वो जान कहां रह पाएगी। वैसे भी इतने सालों के दौरान हम उस बीमारी के साथ जीने के आदी हो ही रहे हैं।

कैदियों की रिहाई के लिए नयी लक्ष्मण रेखा

अनूप भटनागर

स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों की सज़ा में छूट देकर उन्हें रिहा करने के लिये राज्य सरकार और राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 में प्रदत्त अधिकार के इस्तेमाल पर शीघ्र ही एक लक्ष्मण रेखा खिंच सकती है। इसकी वजह दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद हरियाणा सरकार की कैदियों को रिहा करने संबंधी 2019 की नीति है, जिसके तहत उम्रकैद की सज़ा पाये 75 साल के कैदी को मात्र आठ साल जेल में बिताने के बाद राज्यपाल ने तथ्यों और दूसरी सामग्री की छानबीन के बगैर ही संविधान के अनुच्छेद 161 में प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए रिहा कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने 1978 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा मारू राम प्रकरण में प्रतिपादित व्यवस्था और तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों का जिक्र करते हुए दो सवाल सात सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजे हैं। संविधान पीठ को अब यह व्यवस्था देनी है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 161 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके ऐसी नीति तैयार की जा सकती है, जिसमें प्रतिपादित मानदंडों का पालन करने के बाद कार्यपालिका किसी भी मामले में तथ्यों और सामग्री को राज्यपाल के समक्ष पेश किये बगैर ही किसी कैदी को सज़ा में छूट का लाभ दे सकती है और क्या इस तरह की कवायद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए की जरूरतों को दरकिनार कर सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 161 में जहां राज्यपाल को कुछ मामलों में सज़ा निलंबित करने, उसे माफ करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार दिया गया है वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए में कुछ मामलों में राज्यपाल के इन अधिकारों पर पाबंदियां लगायी गयी हैं। धारा 433-ए यह भी कहती है कि दोषी जेल से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता, जब तक उसने कम से कम 14 साल की सज़ा पूरी ना कर ली हो, यह प्रावधान उन कैदियों पर लागू होता है, जिन्हें ऐसे मामलों में उम्रकैद की सज़ा दी गई है, जिनमें अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान है या फिर जिसकी सज़ा मृत्युदंड से परिवर्रित होकर उम्रकैद बनी है। इस प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में उम्रकैद की सज़ा पाने वाले कैदी को जेल में 14 साल गुजारे बगैर इस तरह की छूट का लाभ नहीं मिल सकता । यह तथ्य हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा भुगत रहे एक कैदी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया । पता चला कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के प्रावधान के बावजूद 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सामान्य सज़ा माफी की नीति के तहत उसे रिहा कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने पाया कि अनुच्छेद 161 के तहत कैदियों को सज़ा से माफी देने के मामले में प्रत्येक के तथ्य और दूसरी सामग्री राज्यपाल के समक्ष नहीं रखी गयी थी।

शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने 2012 में इस मुद्दे पर विराम लगाते हुए अपने फैसले में कहा था कि सज़ा में माफी देना एक कानूनी प्रावधान है लेकिन इसके मनमाने तरीके से इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के इरादे से विधायिका ने इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किये हैं, जिनका पालन जरूरी है। न्यायालय ने यह भी कहा था कि कैदियों को सामूहिक रूप से माफी नहीं दी जा सकती और प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति के आधार पर ही निर्णय लेना होगा।

हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार दो अगस्त, 2019 को इस संबंध में एक नीतिगत फैसला लिया। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 161 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने 15 अगस्त, 2019 को कैदियों के एक वर्ग की सज़ा माफ करने का निर्णय किया था। इस विशेष श्रेणी में ऐसे कैदी थे, जिन्हें उम्रकैद की सज़ा मिली थी और पुरुषों के मामले में उनकी आयु 75 साल से ज्यादा तथा महिलाओं के मामले में उनकी आयु 65 साल से अधिक थी और पुरुष कैदियों ने 15 अगस्त, 2019 को आठ साल तथा महिला कैदियों ने छह साल की वास्तविक सज़ा पूरी कर ली थी। राज्य सरकार के इस नीतिगत निर्णय के दायरे से कई श्रेणी के कैदियों को बाहर रखा गया था। इनमें वे कैदी भी शामिल थे, जिनकी मौत की सज़ा उम्रकैद में तबदील हुई थी। इसी तरह, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के अपहरण और उनकी हत्या, बलात्कार और हत्या, डकैती और लूटपाट, टाडा, शासकीय गोपनीयता कानून, विदेशी नागरिक कानून, पासपोर्ट कानून और एनडीपीएस कानून के तहत दोषी कैदियों सहित कई श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया था।

उम्मीद है कि उम्रकैद की सज़ा पाये कैदियों को माफी देने के सवाल पर सात सदस्यीय संविधान पीठ स्पष्ट व्यवस्था देगी जिसके बाद किसी की राज्य सरकार को अनुच्छेद 161 में सज़ा में माफी देने के मामले में अपनी मर्जी चलाने का अवसर नहीं मिलेगा और ऐसे मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए के प्रावधान का पालन किया जायेगा।

राजगुरु का दायरा

एक राजा को गुरु की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने वजीर से कहा- कोई ऐसा आश्रम खोजिए जो अत्यधिक विशाल हो। कोई गुरु अथवा आचार्य नया आश्रम बनाना चाहते हों तो उसके लिए राज्य की भूमि दान में दी जाएगी। यह सुनकर कई संत, महात्मा और आचार्य आदि आगे आए और भूमि पाकर आश्रम निर्माण में लग गए। एक दिन राजा वजीर को लेकर आश्रमों की निर्माण प्रगति देखने निकला। राजगुरु बनने की होड़ में एक से बढ़कर एक आश्रम बनाए जा रहे थे। एक जगह ऋषि सत्यानन्द को वृक्ष के नीचे विश्राम करते देखकर राजा रुक गया। राजा ने पूछा, 'स्वामी जी, आपके आश्रम का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ 'सत्यानन्द जी बोले, 'राजन! यह सारा संसार ही मेरा आश्रम है और यहां विचरण करने वाले सभी मेरे अपने हैं। फिर मैं क्यों चारदीवारी खींच कर अपने आश्रम को छोटा करूं।' राजा ने संतुष्ट होकर सत्यानन्द जी को ही राजगुरु का दर्जा दे दिया।

प्रस्तुति : मुकेश कुमार जैन

गांव की छांव

ज्ञानदत्त पाण्डेय

गांव, गांव ही रहेगा। मैं सोचता था कि गांव हाईवे के किनारे है, गांव के बीच में एक रेलवे स्टेशन है। रेल का दोहरीकरण हो रहा है। बहुत बदलाव हो रहे हैं। लेकिन गांव तो गांव ही है। कभी बिना मांगे सलाह मिलती है तो कभी अपनापन। ऐसा ही हुआ पिछले दिनों। यूं ही पूरा दिन बीत जाता है। कहते हैं, पुरवाई चले तो आलस आता है। मौसम तप रहा था। पछुआ हवा थी-गर्म और सूखी। शाम के समय हल्की आंधी आई और बिजली गायब। नींद उखड़ी-उखड़ी सी रही। दिन में जब तब आंखें झपक जाती थीं। बिजली नहीं, इंटरनेट भी उखड़ा-उखड़ा सा। पूर्वांचल में प्रवासी आने लगे हैं बड़ी संख्या में साइकिल/ऑटो/ट्रकों से। उनके साथ आ रहा है वायरस भी, बिना टिकट।

गांव देहात में मामले बढ़ रहे हैं, पर लगता है जनता कुछ सचेत है। शहरों की भीड़ यहां नहीं है। लोग खोंचा या मास्क उतना पहने नहीं दिखते, पर मुंह पर गमछे की आड़ बनाये दिखते हैं। दुकानदार ज्यादा सतर्क हैं। दो दवा के दुकानदारों ने तो सामने शीशे का स्क्रीन जैसा बनवा कर ग्राहक से दूरी बनाने का इंतजाम कर लिया है। दवा की दुकान पर बीमार के आने और संक्रमण के फैलने की सम्भावना ज्यादा है।

कई लोग पूरी तरह बेफिक्र नजर आते हैं! सवेरे गंगा किनारे नावों के पास बैठे नौजवान उसी प्रकार के हैं। आपस में चुहुलबाजी करते। वहीं पर राजेश मिला। राजेश सरोज। वह बम्बई गया था। वहां से मुझे फोन पर बताया था कि किसी मछलीमार नौका में स्थान बनाने का यत्न कर रहा है। बम्बई से लॉकडाउन के पहले ही आ गया था। तब ट्रेनें चल रही थीं। आज शाम गुन्नी पाण्डे आये थे। एक सज्जन की दशा बता रहे थे। दो शादियां हुई थीं उन सज्जन की। पहली से एक लड़का है जो नौकरी कर रहा है। पहली पत्नी के देहावसान के बाद दूसरी शादी हुई तो उससे चार लड़के हैं। चारों ही अकर्मण्य। आसपास देखें तो जो दुख, जो समस्यायें, जो जिंदगियां दिखती हैं, उनके सामने कोरोना विषाणु की भयावहता तो पिद्दी सी है। पर जैसा हल्ला है, जैसा माहौल है; उसके अनुसार तो कोरोना से विकराल और कुछ भी नहीं। यह समय भी निकल जायेगा। समझाते अच्छा हैं गांव वाले निश्छल भाव से।